



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 भाद्र 1948 (श10)

(सं0 पटना 1142) पटना मंगलवार 22 सितम्बर 2026

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

17 सितम्बर 2026

सं० प्र०-II-ल०ख०(ब्रिक)-03/2019/6116/एम०—बिहार राज्यान्तर्गत 38 जिलों में ईट सत्र 2024-25 तक स्वामिस्व की राशि जमा नहीं करने वाले ईट-भट्टों की कुल स्वामिस्व की राशि 226.40 करोड़, रुपये अधिरोपित जुर्माना/ब्याज की राशि 90.26 करोड़ रुपये अर्थात् कुल समेकित एवं जुर्माना की राशि 316.66 करोड़ रुपये होती है। 316.66 करोड़ रुपये की राशि में मात्र 27.28 करोड़ रुपये संबंधित जिला खनन कार्यालय द्वारा नीलाम पत्र/प्राथमिकी दर्ज कर वसूल की गई है। वर्तमान में 289.38 करोड़ रुपये की राशि बकाया है।

2. समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि नीलाम पत्र वादों में ब्याज की राशि लगातार बढ़ती जा रही है एवं नीलाम पत्र देनदार उसे चुका पाने में अत्यन्त कठिनाई का सामना कर रहे हैं। ईट-भट्टा व्यवसायियों द्वारा समय-समय पर अन्य विभागों की भाँति (एकमुश्त समाधान योजना) योजना लाये जाने का अनुरोध किया जाता रहा है।

3. (क) वर्तमान में प्रभावी बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली-2019 (यथा संशोधित 2026) के नियम 38 में ईट-भट्टों में उपयोग के लिए ईट मिट्टी हेतु समेकित स्वामिस्व के निर्धारण एवं भुगतान की प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान है। नियम-55 में किसी लगान स्वामिस्व अथवा फीस या सरकार की बकाया राशि पर साधारण ब्याज प्रभारित करने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त नियम-82 में इस नियमावली के अधीन भुगतये बकाया राशि बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम, 1914 के अधीन लोक मांग के अनुरूप वसूलनीय है।

(ख) बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली-2019 यथासंशोधित के नियम-77(1) के तहत राज्य सरकार इस नियमावली के किसी प्रावधान को लोक हित में शिथिल कर सकती है।

(ग) विभाग द्वारा ईट-भट्टे पर बकाये से संबंधित एकमुश्त समाधान योजना लाया जाना प्रस्तावित है। खान एवं भूतत्व विभाग के पदाधिकारी द्वारा नीलाम पत्र पदाधिकारी को ईट-भट्टे पर बकाया राशि वसूली के लिए नीलाम पत्र वाद संस्थित करने के लिए भेजी गई अध्याचना में उल्लेखित कुल बकाया राशि में से ब्याज की राशि छोड़कर शेष बची राशि (इसे आगे "एकमुश्त समाधानित राशि" कहा जाएगा) जमा कर देने की स्थिति में विभाग के पदाधिकारी द्वारा संबंधित नीलाम पत्र पदाधिकारी को यह लिखकर प्रतिवेदित कर दिया जाएगा कि अब संबंधित नीलाम पत्र देनदार पर कोई "लोक मांग" बकाया नहीं है। इस प्रतिवेदन के आलोक में नीलाम पत्र पदाधिकारी द्वारा संबंधित नीलाम पत्र वाद का निस्तारण किया जा सकेगा।

4. वन टाईम सेटलमेंट योजना की अवधि तीन माह की होगी, जो दिनांक 21.09.2026 से 20.12.2026 तक प्रवृत्त रहेगी।

5. बिहार खनिज (समानुदान, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली-2019 (यथासंशोधित) 2026 का नियम-38(5) एवं 55 तथा पूर्व में इस आशय में निर्गत विभागीय पत्र/निदेश आदि उपरोक्त सीमित अवधि तक उपरोक्तानुसार शिथिल माने जाएंगे। उपरोक्त एकमुश्त समाधान योजना के तहत वही ईट-भट्टे आच्छादित होंगे, जिनके स्वामिस्व की राशि जमा नहीं करने के कारण दिनांक-31.08.2026 तक उनके विरुद्ध खनन पदाधिकारी द्वारा नीलाम पत्र वाद दायर कर दिया गया है। यह स्वामिस्व की बकाया राशि ईट सत्र 2024-25 या उसके पूर्व की होनी चाहिए। एकमुश्त समाधानित राशि पर जिला खनिज फाउंडेशन, आयकर एवं अन्य करों को जमा कराने के पश्चात् ही संबंधित खनन पदाधिकारी द्वारा अपना प्रतिवेदन नीलाम पत्र पदाधिकारी को दिया जा सकेगा।

6. उपरोक्त के आलोक में एकमुश्त समाधान योजना लाये जाने पर ईट-भट्टा व्यवसायियों को राहत मिलेगी, तथा सरकार को कम समय में काफी राजस्व की प्राप्ति हो सकेगी।

7. बिहार राज्यान्तर्गत ईट सत्र 2024-2025 तक ईट-भट्टों के बकाया राशि की वन टाईम सेटलमेंट योजना की स्वीकृति दी गई है।

8. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति दिनांक-15.09.2026 की बैठक के मद संख्या-04 में प्राप्त है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प का प्रकाशन सर्वसाधारण की जानकारी हेतु बिहार गजट के असाधारण अंक में किया जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भारत भूषण प्रसाद,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1142-571+10-डी0टी0पी0

Website: <https://egazette.bihar.gov.in>